

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1 (117)एमई/ग्रुप-1/91

जयपुर, दिनांक 12 0 JAN 2013

—:आदेश:—

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित चिकित्सकों को सहायक आचार्य, टी.बी. एवं चेस्ट के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे 6600/-) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोवेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे:-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक एवं पता	मेरिट नं.	श्रेणी	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ विनोद कुमार जॉगिह पंचोलियों का मौहल्ला, कापरेन, जिला-बूंदी।	मेरिट नं.8	ओबीसी	30.09.80	मेडिकल कॉलेज अजमेर
2.	डॉ राजेन्द्र प्रसाद ताखर मंगनपुरा वाया-बाय त. दातारामगढ, जिला-सीकर	मेरिट नं.9	ओबीसी	09.07.1984	मेडिकल कॉलेज कोटा
3.	डॉ गुलाब सिंह यादव 804 ई, किसान मार्ग, अहिंसा पार्क के सामने, बरकत नगर, टोक फाटक, जयपुर।	मेरिट नं.11	ओबीसी	13.03.1972	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
4.	डॉ राजेन्द्र सोगत 110 भगवती नगर, प्रथम, कतारपुरा फाटक, जयपुर	मेरिट नं.12	अजा	03.04.1973	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/ क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत हैं, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी. सिविल पिटीशन न. 8412/2012 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,

(कैलाश चंद राव)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(5)भर्ती/गोपनीय/2009-10/427 दिनांक 20.11.2012 के क्रमांक।
4. निदेशक (जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/कोटा/बीकानेर।
6. संबंधित चिकित्सक को (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव